

कार्यालय अधिष्ठाता

स्वशासी छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

E-mail – deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com

क्रमांक/स्था0/विज्ञप्त /2021 /10715

छिन्दवाड़ा दिनांक – 06/09/2021

// विज्ञप्ति //

संस्था में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक एफ 4-60/2017/55-2, भोपाल दिनांक 06-05-2017/12-05-2017 के द्वारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के लिए पद सृजित किये गये हैं। मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र./1/55/2018 भोपाल दिनांक 07-04-2018 के द्वारा "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018" प्रतिस्थापित किया गया है, नवीन सीधी भर्ती के प्रावधान किये गये हैं, जिनके तहत सीधी भर्ती की जाना है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 में संशोधन दिनांक 19-08-2019 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधी भर्ती द्वारा राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुए प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, प्रदर्शक, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है, ऐसे अभ्यर्थी जो कि शासन/एन.एम.सी. द्वारा निहित अर्हताएं पूर्ति करते हो, इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाना है, एवं समस्त प्रवर्गों के आवेदक आवेदन शुल्क प्रत्येक पद हेतु रुपये 1000/- (शब्दों में रुपये एक हजार मात्र/-) अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा के खाते में जमा कर उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

Account Details	
A/c Holder	Dean Chhindwara Institute of Medical Sciences, Chhindwara
Bank Name	State Bank of India Circular Road Dist. Chhindwara Madhya Pradesh
A/c No	37739004173
IFSC	SBIN0000348

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश से प्राप्त अनुमोदित सूची अनुसार रिक्त चिकित्सक शिक्षकों पदों की पूर्ति किया जाना है, नियुक्ति चिकित्सकीय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत होगी, सीधी भर्ती के पद प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, प्रदर्शक, आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी एवं महिला चिकित्सा अधिकारी के निम्नलिखित पदों के लिये आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक 25/09/2021 शाम 5:30 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं, तदुपरांत प्राप्त आवेदन अमान्य रहेंगे।

प्राध्यापक पदों का विवरण विभागवार निम्नलिखित है।

क्र.	विषय	विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर				
			प्राध्यापक				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1.	आर्थोपेडिक्स	1	1	—	—	—	—
2.	रेडियोडायग्नोसिस	1	1	—	—	—	—
कुल योग		2	2	—	—	—	—

सह-प्राध्यापक पदों का विवरण विभागवार निम्नलिखित है।

क्र.	विषय	विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर				
			सह-प्राध्यापक				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1.	पैथोलॉजी	1	—	—	1	—	—
2.	जनरल मेडिसिन	2	1	—	1	—	—
3.	पीडियाट्रिक्स	1	1	—	—	—	—
4.	स्कीन व्ही.डी एण्ड लेप्रोसी	1	1	—	—	—	—
5.	मनोरोग	1	1	—	—	—	—
6.	ई.एन.टी	1	1	—	—	—	—
7.	ऑपथलमोलॉजी	1	1	—	—	—	—
8.	स्त्री एवं प्रसूतीरोग	1	1	—	—	—	—
9.	एनस्थेसिया	2	1	—	1	—	—
कुल योग		11	8	—	3	—	—

सहायक प्राध्यापक पदों का विवरण विभागवार निम्नलिखित है।

क्र.	विषय	विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर				
			सहायक प्राध्यापक				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1	एनॉटामी	2	1	—	1	—	—
2	फिजियोलॉजी	1	—	—	1	—	—
3	बायोकेमेस्ट्री	1	—	—	1	—	—
4	फार्मकोलॉजी	1	—	—	1	—	—
5	माइक्रोबायोलॉजी	2	1	—	1	—	—
6	कम्यूनिटी मेडिसिन	1	—	—	1	—	—
कुल योग		8	2	—	6	—	—

प्रदर्शक पदों का विवरण विभागवार निम्नलिखित है।

क्र.	विषय	विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर				
			प्रदर्शक				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1	एनॉटामी	1	—	—	1	—	—
2	फिजियोलॉजी	1	—	—	1	—	—
3	बायोकेमेस्ट्री	3	1	—	1	1	—
4	फार्मकोलॉजी	1	—	—	1	—	—
5	पैथोलॉजी	2	2	—	—	—	—
कुल योग		8	3	—	4	1	—

आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी पदों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र.	विषय	विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर				
			आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	11	2+1F	1	2+1F	2	2
कुल योग		11	3	1	3	2	2

महिला चिकित्सा अधिकारी पदों का विवरण निम्नलिखित है।

क्र.	विषय	विज्ञापित पद संख्या	आरक्षण रोस्टर				
			महिला चिकित्सा अधिकारी				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1	महिला चिकित्सा अधिकारी	2	1	—	1	—	—
कुल योग		2	1	—	1	—	—

उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश की वेबसाइट www.govtmedicalcollegehindwara.com एवं www.medicaleducation.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

- आवेदन पत्र डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अधिष्ठाता कार्यालय, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा, टी. बी. सेनोटोरियम के पास जिला छिन्दवाड़ा(म.प्र.) पिन कोड— 480001 में आवेदन पत्र जमा कराये जा सकते हैं, एवं निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों सहित डाक के माध्यम से भेजा जाये।
- आवेदन पत्र डाक के द्वारा भेजे जाने पर पता स्पष्ट रूप से बिन्दु क्रमांक 01 में दर्शित पूर्ण पते पर ही भेजा जावे, शैक्षणिक संवर्ग हेतु आवेदन पर विभाग का नाम..... तथा आवेदित पद का नाम..... और आरक्षण रोस्टर अनुसार किस वर्ग का आवेदक हैं, और किस वर्ग के रिक्त पद पर आवेदन करता है, उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। तथा आवेदन प्रारूप में किसी भी प्रकार का अपलेखन किये जाने पर आवेदन पत्र स्वयं आमामन्य रहेगा।
- सभी शार्ट लिस्टेड आवेदकों को फोन द्वारा/ई-मेल द्वारा बुलाया जायेगा। साक्षात्कार की समय सारणी कॉलेज वेबसाइट पर प्रदर्शित कि जायेगी। साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों की सूची केवल चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.govtmedicalcollegehindwara.com पर अपलोड की जावेगी।
- आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।
- केवल शार्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जावेगा। यदि पद रिक्त हुए तो बाद में अन्य उम्मीदवारों को बुलाया जावेगा।
- राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित आरक्षण व्यवस्था लागू होगी, जिसका अक्षरतः पालन किया जावेगा।
- चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी उम्मीदवारों के लिये बाध्य होगा।

मुख्य कार्यपालन आधिकारी/अधिष्ठाता
स्वशासी छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

1. वेतनमान	—	नियमित नियुक्ति हेतु
प्राध्यापक	—	1,44,200—2,18,200 + डी0ए0
सह प्राध्यापक	—	1,31,400—2,17,100 + डी0ए0
सहायक प्राध्यापक	—	68,900—1,39,900 + डी0ए0
प्रदर्शक	—	57,700—1,17,100 + डी0ए0
आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	—	56,100—1,77,500 + डी0ए0
महिला चिकित्सा अधिकारी	—	56,100—1,77,500 + डी0ए0

टीप —समस्त पदों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान/निश्चित मानदेय एवं अन्य भत्ते आदि देय होंगे।

2. आयु सीमा —		न्यूनतम
प्राध्यापक	—	35 वर्ष
सह प्राध्यापक	—	30 वर्ष
सहायक प्राध्यापक	—	25 वर्ष
प्रदर्शक	—	22 वर्ष
आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	—	25 वर्ष
महिला चिकित्सा अधिकारी	—	25 वर्ष

टीप — आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जुलाई की दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।

3. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।

● जाति प्रमाण पत्र : आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

● उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचितजाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, F = महिला पद हेतु आरक्षित है।

● आवश्यकतानुसार पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी जा सकती है।

4. अर्हताये :-

a) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।

b) प्राध्यापक — संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नाताकोत्तर शैक्षिक योग्यता एमडी/एमएस/डीएनबी (i) अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यताप्राप्त किसी मेडिकल कालेज/संस्थान में 3 वर्ष के लिए 3 अनुसंधान प्रकाशनों (कम से कम दो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में) (केवल मूल कागजात, मेटा-विश्लेषण, व्यस्थित समीक्षा और केस अनुक्रम जो हैं मेडलाइन, पबमेडसेंट्रल, प्रशस्ति सूचकांक, विज्ञान उद्धरण सूचकांक, विस्वारित एम्बेस, स्कोपस, ओपनएक्सेस पत्रिकाओं की निर्देशिका (DoAJ) में प्रकाशित पत्रिकाओं में विचार किया जाएगा) के साथ, उस विषय में एसोसिएट प्रोफेसर। लेखन को पहले तीन में से एक होना चाहिए या तदनुसारी लेखन होना चाहिए। (ii) चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा कराना चाहिए। (iii) बायोमेडिकल रिसर्च में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों में मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए।

इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की पारगमन अवधि के लिए, अधिसूचना भारत का राजपत्र MCI-12(2)/2019-Med.Misc./189334 दिनांक 12 फरवरी 2020 से प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" अधिसूचना के अनुसार संस्था द्वारा की जा सकती है जैसा कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले था।

- c) सह-प्राध्यापक – संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नाताकोत्तर शैक्षिक योग्यता एमडी/एमएस/डीएनबी (i) अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यताप्राप्त किसी मेडिकल कालेज/संस्थान में 4 वर्ष के लिए 1 अनुसंधान प्रकाशन (केवल मूल कागजात, मेटा-विश्लेषण, व्यस्थित समीक्षा और केस अनुक्रम जो हैं मेडलाइन, पबमेडसेंट्रल, प्रशस्त सूचकांक, विज्ञान उद्धरण सूचकांक, विस्वारित एम्बेस, स्कोपस, ओपनएक्सेस पत्रिकाओं की निर्देशिका (DoAJ) में प्रकाशित पत्रिकाओं में विचार किया जाएगा) के साथ, उस विषय में सहायक प्राध्यापक। लेखन को पहले तीन में से एक होना चाहिए। (ii) प्रकाशन/लेखनकारिता के बदले में अनुसंधान परियोजना को केवल तभी माना जा सकता है जब व्यक्ति किसी राष्ट्रीय अनुसंधान निकाय जैसे कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) या ऐसे किसी निकाय द्वारा वित्तपोषित एक अनुसंधान परियोजना का प्रधान सह-प्रधान अन्वेषक (P1/VoPI) हो। (iii) चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। (iv) बायोमेडिकल रिसर्च में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए।

इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की पारगमन अवधि के लिए, अधिसूचना इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की पारगमन अवधि के लिए, अधिसूचना भारत का राजपत्र MCI-12(2)/2019-Med.Misc./189334 दिनांक 12 फरवरी 2020 से सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" अधिसूचना के अनुसार संस्था द्वारा की जा सकती है जैसा कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले था।

- d) सहायक प्राध्यापक – संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नाताकोत्तर शैक्षिक योग्यता एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी. किसी मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में कनिष्ठ रेंजीडेंट के रूप में 3 वर्ष और किसी मान्यताप्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेंजीडेंट के रूप में एक वर्ष। अनुसूची-1 के खंड 4क के अनुसार, एम.डी./एम.एस. के समतुल्य माने गए डी.एन.बी. अभ्यर्थी के मामले में, रजिडेंट/प्रदर्शक/ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष के अध्यापन अनुभव के अलावा किसी मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड अधिसूचना नई दिल्ली, 7 जून 2019 के अनुसार "वरिष्ठ रेजीडेंट" के शैक्षिक योग्यताओं यह कि ऐसी विधाओं में, जहां होने वाली '50/100/150/200/250 दाखिले प्रति वर्ष के लिए मेडिकल कॉलेज हेतु न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली' में वरिष्ठ रेजीडेंट का पद विनिर्धारित नहीं किया गया है, संबंधित विधा में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात ट्यूटर/प्रदर्शक/रेजीडेंट रजिस्ट्रार के रूप में एक वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।"

- e) प्रदर्शक – ट्यूटर/प्रदर्शक पद की न्यूनतम आयुसीमा 22 वर्ष, शैक्षणिक अर्हताएं— 1)चिकित्सा उम्मीदवारों को किसी एम.सी.आई/एन.एम.सी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम.बी.बी.एस की डिग्री/ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा शैक्षणिक पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता।
- f) आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी – एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से एम.बी.बी.एस. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।
- g) महिला चिकित्सा अधिकारी – एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से एम.बी.बी.एस. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण।

5. निरर्हतायें—

5.1 विकृत चित्त वाला होने पर।

5.2 दुश्चरित्र होने पर।

5.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।

- 5.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा – किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हताकारी माना जायेगा।
- 5.5 विवाह संबंधी – जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने पहले पति/पत्नि के जीवित रहते हुये पुनः विवाह किया हो अथवा किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- दिनांक 26/01/2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गई हो वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात अग्रिम प्रसव में 02 या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अनर्हताकारी नहीं होगा।
- 5.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जावेगी साथ ही ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी संस्थित की जावेगी, जिसके लिए व्यक्ति स्वयं ही जबाबदेह रहेगा।
- 5.7 कदाचरण संबंधी – किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप प्रदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- 5.8 ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का अपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के अपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो तो वह व्यक्ति नियुक्ति के लिए अपात्र रहेगा तथा को छिपाते हुए नियुक्ति प्राप्त करता है तो जानकारी पता चलने पर विधि संवत कार्यवाही की जावेगी तथा नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी।
- 5.9 स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथाऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (मेडिकल बोर्ड) कम का न हो।
- 5.10 व्यवसायिक आचरण – संबंधित चिकित्सकीय सेवा के लिए लागू आयुर्विज्ञान परिषद् तथा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय दंत परिषद् समय-समय पर निर्धारित मर्यादाओं, मापदण्डों एवं आपेक्षओं के अनुरूप होना चाहिए। सामान्य आचरण राज्य शासन की सेवा में कार्यरत समकक्ष व्यक्तियों पर लागू आचरण नियमों के अनुरूप लागू होंगे।
6. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति **प्रथमतः एक वर्ष की अवधि** के लिये परीवीक्षा पर होगी। यदि चयनित अभ्यर्थी द्वारा छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा में एक वर्ष की अवधि के लिये सीनियर रेसीडेन्ट डॉक्टर के पद पर संतोषजनक कार्य किया हो तो उसे सीधे नियमित सेवा में नियुक्ति में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी।
7. मध्य प्रदेश के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिये अर्हताधारी हो सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिये स्वतन्त्र होगा और ऐसे आवेदन के लिये उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा ऐसे उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जायेगी।
8. चिकित्सा शिक्षक को उसके पद के अनुरूप कर्तव्यों का तथा समय-समय पर सौंपे गये प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होगा।

9. आवेदक का चयन होने पर उसे 65 वर्ष की उम्र अथवा नियुक्ति दिनांक से 03 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व सेवा से त्याग पत्र देने पर चिकित्सा शिक्षकों को एक वर्ष का वेतन और मानदेय वसूल करने के प्रावधान रहेगा, जो भी पहले हो तक संबंधित छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा में सेवायें देनी होगी। आवेदक को इस बाबत सम्यक रूप से स्टांपित एक बांड नियुक्ति के समय भरना होगा एवं इस शर्त के उल्लंघन पर उसे 01 वर्ष का वेतन/मानदेय के बराबर की राशि महाविद्यालय को चुकानी होगी।
10. मध्यप्रदेश शासन के छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा में कार्यरत चिकित्सक हेतु प्रतिनियुक्ति के लिये मूल नियोक्ता की सहमति अनिवार्य होगी।
11. आवेदन करने की अंतिम तिथि :- अधिष्ठाता कार्यालय, आवक जावक शाखा, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा, टी. बी. सेनोटोरियम के पास जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) पिन कोड- 480001 में आवेदन पत्र दिनांक 25/09/2021 सायं 05:30 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिये। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
12. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
13. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश की वेबसाईट "www.govtmedicalcollegehindwara.com" एवं "www.medicaleducation.mp.gov.in" पर उपलब्ध है।
14. चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा।
15. विज्ञापित पदों का विवरण पत्रक संलग्न जिसमें आवेदन आमंत्रित है।
16. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण अधिनियम के परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन रहेगी।

महत्वपूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करे ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है।



मुख्य कार्यपालन आधिकारी/अधिष्ठाता
स्वशासी छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

कार्यालय अधिष्ठाता

स्वशासी छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

E-mail – deanmedicalcollegechhindwara@gmail.com

क्रमांक / स्था0 / विज्ञप्त / 2021 / 10716

छिंदवाड़ा दिनांक- 06/09/2021

Walk – In- Interview

संस्था में रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक एफ 4-60/2017/55-2, भोपाल दिनांक 06-05-2017/12-05-2017 के द्वारा नवीन चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के लिए पद सृजित किये गये हैं। मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र./1/55/2018 भोपाल दिनांक 07-04-2018 के द्वारा "मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018" प्रतिस्थापित किया गया है। नवीन सीधी भर्ती के प्रावधान किये गये हैं, जिनके तहत सीधी भर्ती की जाना है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1998 में संशोधन दिनांक 19-08-2019 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधी भर्ती द्वारा राज्य स्तरीय रोस्टर का पालन करते हुए सीनियर रेसीडेंट एवं जूनियर रेसीडेंट के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना है, ऐसे अभ्यर्थी जो कि शासन एन.एम.सी. द्वारा निहित अर्हताएं पूर्ति करते हो, इस हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। समस्त प्रवर्गों के आवेदक आवेदन शुल्क प्रत्येक पद हेतु रुपये 1000/- (शब्दों में रुपये एक हजार मात्र/-) अधिष्ठाता, छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा के खाते में जमा कर उसकी रसीद आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

Account Details	
A/c Holder	Dean Chhindwara Institute of Medical Sciences, Chhindwara
Bank Name	State Bank of India Circular Road Dist. Chhindwara Madhya Pradesh
A/c No	37739004173
IFSC	SBIN0000348

छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) में सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर साक्षात्कार (**Walk- In- Interview**) आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक अपनी उपस्थिति छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस छिन्दवाड़ा (म.प्र.) में दिनांक 06/09/2021 से हर सप्ताह सोमवार से शुक्रवार निरंतर अपने समस्त अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा अभिप्रमाणित छायाप्रतियों सहित कार्यालयीन समय में अधिष्ठाता कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

सीनियर रेसीडेंट पदों का विवरण विभागवार निम्नलिखित है।

क्रमांक	विषय	रिक्त	आरक्षण रोस्टर				
			सीनियर रेसीडेंट				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1.	जनरल मेडिसिन	5	-	-	2	2	1
2.	पीडियाट्रिक्स	3	1	-	1	1	-
3.	टीबी एण्ड चेस्ट	1	-	-	1	-	-
4.	स्किनव्हीडी एण्ड लेप्रोसी	1	-	-	1	-	-
5.	मनोरोग	1	-	-	1	-	-
6.	जनरल सर्जरी	4	1	-	2	1	-
7.	एनेस्थिसिया	4	2	-	1	-	1
8.	रेडियोडायग्नोसिस	3	1	-	1	1	-
9.	रेडियोथेरेपी	1	-	-	1	-	-
10.	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहबलिटेशन	1	1	-	-	-	-
11.	स्त्री एवं प्रसूतिरोग	1	1	-	-	-	-
12.	डेन्टिस्ट्री	1	1	-	-	-	-
कुल योग		26	8	-	11	5	2

जूनियर रेसीडेंट पदों का विवरण विभागवार निम्नलिखित है।

क्रमांक	विषय	रिक्त	आरक्षण रोस्टर				
			जूनियर रेसीडेंट				
			UR	EWS	OBC	ST	SC
1	जनरल मेडिसिन	11	3+1F	1	2+1F	2	1
2	पीडियाट्रिक्स	7	2+1F	-	2	1	1
3	टीबी एण्ड चेस्ट	2	1	-	1	-	-
4	स्किनव्हीडी एण्ड लेप्रोसी	2	1	-	1	-	-
5	मनोरोग	2	1	-	1	-	-
6	जनरल सर्जरी	12	3+1F	1	2+1F	2	2
7	आर्थोपेडिक्स	8	2	1	2	2	1
8	ई0एन0टी0	2	1	-	1	-	-
9	अथ्लोमोलॉजी	2	1	-	1	-	-
10	स्त्री एवं प्रसूतिरोग	6	1	-	2	2	1
11	एनेस्थिसिया	4	2	-	1	-	1
12	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहबलिटेशन	1	1	-	-	-	-
कुल योग		59	22	3	18	9	7

- सीनियर रेसीडेंट का वेतन प्रतिमाह –रुपये 76,000/- देय रहेगा, एवं जूनियर रेसीडेंट को वेतन प्रतिमाह रूपये 53,000/- देय रहेगा।
- उक्त विज्ञापित पदों की आयु सीमा न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 62 वर्ष रहेगी। उपरोक्त चिन्हित पदों में SC = अनुसूचितजाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, F = महिला पद हेतु आरक्षित है।
- पदों की संख्या घटायी/बढ़ायी की जा सकती है।

नियम एवं शर्तें सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट हेतु:-

1. सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट की (Tenure) 3 वर्ष की अवधि होगी। इनकी प्रथमतः 1 वर्ष हेतु नियुक्ति की जायेगी। तत्पश्चात् सेवाएं संतोष जनक पाये जाने पर 1 वर्ष हेतु समय बढ़ाया जा सकेगा।
2. आवेदक की सेवाये किसी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसकी ऐवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों पर एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
3. यह नियुक्ति प्रथमतः 1 वर्ष के लिये होगी और उनका कार्य संतोष जनक पाये जाने पर एवं विभागाध्यक्ष द्वारा संतोष जनक कार्य की रिपोर्ट आने पर फिर 12 माह के लिये कार्यकाल बढ़ाया जायेगा। प्रत्येक 1 वर्ष हेतु अगर किसी विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होती है तो उस हालत में रेसीडेंट की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार अधिष्ठाता को होगा जिन चिकित्सकों की नियुक्ति इस प्रकार से समाप्त हो जाती है। उन्हें दोबारा आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
4. इन चिकित्सकों को 01 वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी। साथ ही उन्हें सप्ताह में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगी। साप्ताहिक अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा।
5. सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पूर्णरूपेण पालन किया गया है।
6. सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
7. कार्य ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्ता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के उपरांत चयनित उम्मीदवार को सात दिवस के अंदर अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
9. सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट को चिकित्सालय में आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक चिकित्सा सेवायें (सी0एम0ओ0 ड्यूटी) ली जावेगी।
10. सीनियर एवं जूनियर रेसीडेंट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जावेगी। उक्त परिस्थिति में रिक्तियों की कटेगरी में परिवर्तन किया जा सकता है। एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध होने पर तत्काल पूर्व आरक्षित नियुक्ति पर कार्यरत उम्मीदवार सेवायें स्वतः समाप्त हो जाएगी। ताकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार का चयन किया जा सके।
11. यह नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण अधिनियम के परिपेक्ष्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अधीन रहेगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

छिन्दवाड़ा दिनांक- 06/09/2021

पृ0क्र./स्था/विज्ञप्त/2021/10717-22
प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग म0प्र0 भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म0प्र0 भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
5. स्थानीय लेखा शाखा छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की ओर।
6. संस्था की बेबसाइट/सूचना पटल।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी/अधिष्ठाता
छिन्दवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस,
छिन्दवाड़ा (म0प्र0)

आवेदन का प्रारूप

स्व प्रमाणित
फोटो

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

पद का नाम :.....

आवेदित पद की श्रेणी अनारक्षित / अनु.जाति / अनु.जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आवेदित पद सही का चिन्ह लगाए तथा शब्दों में लिखे).....

विषय :.....

1. आवेदक का नाम

2. पुरुष / महिला

3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित).....

4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....

.....

शहर का नाम..... फोन नं.....

मोबाइल नं..... ईमेलआईडी.....

5. स्थाई पता.....

.....

शहर का नाम..... फोन नं.....

मोबाइल नं.....

6. आधार कार्ड नम्बर (हो तो)

7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें).....

8. शासकीय / अशासकीय सेवा में होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र

9. दिनांक 01/07/2021 को आवेदक की आयु वर्ष माह..... दिन.....

10. आवेदक की वैवाहिक स्थिति - विवाहित / अविवाहित

11. विवाह का दिनांक -

12. वर्ग: अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

13. मेडिकल काउन्सिल/डेंटल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक

.....

अ. (एम.बी.बी.एस.) -----

ब. एमडी/एमएस/डी.एन.बी/एमडीएस -----

स. एमसीएच/डीएम/डी.एन.बी. -----

14. शैक्षणिक योग्यताएं:-(प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क्रं	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/ पूर्णांक	एम.बी.बी.एस./बी.डी. एस के कुल प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	MBBS/BDS First Prof.						
2	MBBS/BDS Second Prof.						
3	MBBS/BDS Final Part I						
4	MBBS /BDS Final Part II						
5	MD/MS/DNB/MDS						
6	MCH/DM/DNB						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

नोट:- प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

15. शैक्षणिक अनुभव :- छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	पदनाम	रिमांक
1	प्राध्यापक	शैक्षणिक अनुभव
2	सह प्राध्यापक	शैक्षणिक अनुभव
3	सहायक प्राध्यापक	शैक्षणिक अनुभव
4	ट्यूटर/प्रदर्शक/सीनियर रेसीडेंट	शैक्षणिक अनुभव
5	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	शैक्षणिक अनुभव
6	महिला चिकित्सा अधिकारी	शैक्षणिक अनुभव

16. पात्रता के बाद अनुभव :- छायाप्रति संलग्न करें।

17. आवेदन शुल्क रसीद संलग्न करें

18. रिसर्च पब्लिकेशन :- छायाप्रति संलग्न करें।

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

19. कुल संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या :-----

स्थान.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

दिनांक.....

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

चैक लिस्ट (कार्यालय प्रति)

1. आवेदन फार्म।
2. फोटो।
3. MBBS/BDS First Prof. छायाप्रति संलग्न करें।
4. MBBS/BDS Second Prof. छायाप्रति संलग्न करें।
5. MBBS/BDS Final Part I छायाप्रति संलग्न करें।
6. MBBS/BDS Final Part II छायाप्रति संलग्न करें।
7. MBBS/MD/MS/MDS/MCH/DM/DNB छायाप्रति संलग्न करें।
8. Internship Completion Certificate छायाप्रति संलग्न करें।
9. Attempt Certificate(MBBS/MD/MS/MDS/MCH/DM/ DNB) छायाप्रति संलग्न करें।
10. S.R. छायाप्रति संलग्न करें।
11. प्राध्यापक अनुभव की छायाप्रति संलग्न करें।
12. सह प्राध्यापक अनुभव की छायाप्रति संलग्न करें।
13. सहायक प्राध्यापक अनुभव की छायाप्रति संलग्न करें।
14. ट्यूटर/प्रदर्शक अनुभव की छायाप्रति संलग्न करें।
15. प्राध्यापक रिसर्च पब्लिकेशन, इंडेक्स जनरल की छायाप्रति संलग्न करें।
16. सह प्राध्यापक रिसर्च पब्लिकेशन, इंडेक्स जनरल की छायाप्रति संलग्न करें।
17. सहायक प्राध्यापक रिसर्च पब्लिकेशन, इंडेक्स जनरल की छायाप्रति यदि हो तो संलग्न करें।
18. ट्यूटर/प्रदर्शक रिसर्च पब्लिकेशन, इंडेक्स जनरल की छायाप्रति संलग्न करें।
19. आधार कार्ड प्रति संलग्न करें।
20. हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची छायाप्रति संलग्न करें।
21. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
22. मेडिकल कॉउंसिल डेंटल काउन्सिल का पंजीयन
(MBBS/MD/MS/MDS/MCH/DM/DNB)की छायाप्रति संलग्न करें।
23. मध्यप्रदेश मुलनिवासी प्रमाण पत्र।
24. अनापत्ति प्रमाण पत्र (शासकीय/स्वशासकीय/प्राइवेट) की छायाप्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर.....

दिनांक / /

चैक लिस्ट (कार्यालय प्रति)

1. आवेदन फार्म।
2. फोटो।
3. MBBS/BDS First Prof. छायाप्रति संलग्न करें।
4. MBBS/BDS Second Prof. छायाप्रति संलग्न करें।
5. MBBS/BDS Final Part I छायाप्रति संलग्न करें।
6. MBBS/BDS Final Part II छायाप्रति संलग्न करें।
7. MBBS/MD/MS/MDS/MCH/DM/DNB छायाप्रति संलग्न करें।
8. Internship Completion Certificate छायाप्रति संलग्न करें।
9. Attempt Certificate(MBBS/MD/MS/MDS/MCH/DM/ DNB) छायाप्रति संलग्न करें।
10. S.R. छायाप्रति संलग्न करें।
11. प्राध्यापक अनुभव की छायाप्रति संलग्न करें।
12. सह प्राध्यापक अनुभव की छायाप्रति संलग्न करें।
13. सहायक प्राध्यापक अनुभव की छायाप्रति संलग्न करें।
14. ट्यूटर/प्रदर्शक अनुभव की छायाप्रति संलग्न करें।
15. प्राध्यापक रिसर्च पब्लिकेशन, इंडेक्स जनरल की छायाप्रति संलग्न करें।
16. सह प्राध्यापक रिसर्च पब्लिकेशन, इंडेक्स जनरल की छायाप्रति संलग्न करें।
17. सहायक प्राध्यापक रिसर्च पब्लिकेशन, इंडेक्स जनरल की छायाप्रति यदि हो तो संलग्न करें।
18. ट्यूटर/प्रदर्शक रिसर्च पब्लिकेशन, इंडेक्स जनरल की छायाप्रति संलग्न करें।
19. आधार कार्ड प्रति संलग्न करें।
20. हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची छायाप्रति संलग्न करें।
21. जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।
22. मेडिकल कॉउंसिल डेंटल काउन्सिल का पंजीयन
(MBBS/MD/MS/MDS/MCH/DM/DNB)की छायाप्रति संलग्न करें।
23. मध्यप्रदेश मुलनिवासी प्रमाण पत्र।
24. अनापत्ति प्रमाण पत्र (शासकीय/स्वशासकीय/प्राइवेट) की छायाप्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर.....

दिनांक / /